<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 2297

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

'सेल' में भ्रष्टाचार

2297. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'सेल' के अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ की वजह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें कार्रवाई की गई है और कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई की गई है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): भ्रष्टाचार, अनियमितता और नियमों के उल्लंघन आदि के आरोप संबंधी शिकायतें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2017, 2018 और 2019 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान कथित भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन तथा सेल के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच की सांठगांठ आदि के संबंध में सेल सतर्कता (गुमनाम और छद्मनामी शिकायतों को छोड़कर बाह्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ सेल सतर्कता द्वारा की गई निवारक पड़ताल और गहन जाँच में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर विस्तृत जाँच के लिए चुने गए मामले) में दर्ज शिकायतों की कुल संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	दर्ज की गई शिकायतें
2017	537
2018	574
2019 (अक्टूबर तक)	424

(ख): सेल सतर्कता/सीबीआई द्वारा किए गए जाँचों के आधार पर 2017-19 (अक्टूबर 2019 तक) की अवधि के दौरान जिन मामलों में कार्रवाई की गई है, उनकी संख्या निम्नवत् है:-

वर्ष	**ऐसी शिकायतों/मामलों की संख्या जिस पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई**	**ऐसे कार्मिकों की संख्या जिन पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई**
2017	17	23
2018	24	43
2019 (अक्टूबर तक)	23	40
कुल	**64**	**106**

दिनांक 31.10.2019 तक की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त 106 कर्मचारियों में से 19 के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है जबकि शेष 87 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई पूरी हो गई है। वर्ष 2019 के दौरान दर्ज 424 शिकायतों में से 119 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणों में है।

(ग): वर्ष 2017-19 (अक्टूबर, 2019 तक) के दौरान कुल 109 कर्मचारियों (पिछले वर्ष/वर्षों से लिए गए 22 अनुशासनिक कार्रवाई समेत) के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई पूरी हो गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

- 2017 : 21 कर्मचारी
- 2018 : 49 कर्मचारी
- 2019 (अक्टूबर तक) : 39 कर्मचारी

कदाचार की प्रकृति के आधार पर 7 कर्मचारियों को सेवा से हटाने/बर्खास्त करने जैसी कठोर कार्रवाई सहित 105 कर्मचारियों को उचित सजा दी गई। ऊपर उल्लिखित 109 कर्मचारियों में से चार कर्मचारियों को अनुशासनिक कार्रवाई के निष्कर्षों के आधार पर निर्दोष पाया गया है।

****